

फतहसागर में बोट से कूदे युवक का शव 18 घंटे बाद भी नहीं मिला

देवाली छोर पर मिला युवती का शव, फतहसागर में रेस्क्यू टीम ढूँढ रही थी युवक का शव

उदयपुर, (कासं)। शहर की फतहसागर झील में मंगलवार को बोट से झील में कूदे युवक का शव 18 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम को नहीं मिला लेकिन सच ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम को झील के देवाली छोर पर एक युवती का शव तैरता दिखाई दिया जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और शिनाख्ती के प्रयास किए। युवती को उम्र 21 साल बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार

■ युवक के सट्टा में पैसा गंवाने के चलते आत्महत्या करना सामने आ रहा है

बुधवार शाम अम्बामाता थाना क्षेत्र फतहसागर झील देवाली छोर पर अज्ञात युवती का शव मिला। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर

मृतक युवती को बाहर निकाल एमबी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की उम्र करीब 21 वर्ष, रंग सांवला, शरीर पर काली जूंस पेंट व ब्लू स्वेटर व गले में सफेद धातु चांदी जैसी चेन पहने हैं तथा चौबीस घंटे पुराना शव प्रतीत होता है। पुलिस मृतका की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है।

इधर, मंगलवार को चलती बोट

में लाइफ जैकेट खोल झील में कूदे युवक का शव 18 घंटे बाद भी नहीं मिला और रेस्क्यू टीम अब गुरूवार को पुनः सच ऑपरेशन चलाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम फतहसागर झील में चलती बोट में सवार युवक ने पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद युवक के शव की तलाश की जा रही थी जो बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही लेकिन युवक का शव नहीं मिला। मौके

से मिले साक्ष्यों के आधार पर मृतक का नाम मुम्बई निवासी दिनेश पुरोहित होकर सट्टा में पन्द्रह लाख रुपये का कर्ज होने के चलते उसके द्वारा आत्महत्या करने की संभावना जताई गई है। उसके परिजनों के आने पर ही वास्तविकता का पता चल पाएगा। अंधेरा होने पर दूसरे दिन भी रेस्क्यू टीम को सच ऑपरेशन रोकना पड़ा अब गुरूवार को उसकी खोज की जाएगी।

कोर्ट के आदेश पर शिक्षा अधिकारी का चैम्बर सीज़ किया

अजमेर, (कासं)। अनुदानित शिक्षकों के बकाया परिलाभ नहीं मिलने पर बुधवार को कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय को कुर्की के आदेश दिए हैं। नाज़िर ने कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अधिकारी के चैम्बर को सीज़ कर दिया। बाबू मोहल्ला कैम्पस स्थित अनुदानित डीएवी प्राथमिक विद्यालय के छह सेवानिवृत्त शिक्षकों को बीते 13 वर्षों से 1 करोड़ 75 लाख रुपए उनका बकाया भुगतान नहीं मिलने पर यह



■ छह सेवानिवृत्त शिक्षकों को 13 वर्षों से 1 करोड़ 75 लाख रुपए बकाया भुगतान नहीं मिलने पर कार्यवाही की

■ अधिकारियों को इन शिक्षकों का प्रोविडेंट फंड, एरियर और पांचवें एवं छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले परिलाभों का भुगतान करना था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई

कार्यवाही की गई। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ओम्प्रकाश को कुर्की के आदेश दिए गए हैं। यह पूरा प्रकरण 2011 का है। इस विद्यालय के शिक्षक इंदु, स्वर्णपाल हेमलता, वैश्व सहित एक अन्य का एक करोड़ 75 लाख रुपये का बकाया भुगतान था। समायोजन के दौरान स्कूल मैनेजमेंट निष्क्रिय था, जिसके चलते बीकानेर निदेशालय ने भुगतान की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को सौंपी

कोर्ट नाज़िर ने चैम्बर को सीज़ करने की कार्यवाही की।

थी। अधिकारियों को इन शिक्षकों का प्रोविडेंट फंड, एरियर और पांचवें एवं छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले परिलाभों का भुगतान करना था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छह माह पहले भी भुगतान नहीं करने पर कुर्की आदेश जारी हुए थे, लेकिन तब विभागीय अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कहकर मामले को टाल दिया। इस पर कोर्ट के नाज़िर ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किया है। जबकि आहरण वितरण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा स्वयं हैं, उन्हें ही इस प्रकरण में शिक्षकों के रिपोर्टों का संधारण करते हुए बकाया भुगतान करना था।

13 वर्षों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे शिक्षक अब न्याय की आस में दर-दर भटक रहे हैं। सभी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनमें से कई अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनमें से कई शिक्षकों को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनका जीवन कठिनाईयों में गुजर रहा है। उनका कहना रहा कि कोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ रहा है, इससे प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारी जानबूझकर मामले को दबा रहे हैं। वे सरकार और प्रशासन से हस्तक्षेप करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ओम्प्रकाश ने कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना करनी है, इस संवध में बीकानेर निदेशालय को अवगत करा मार्गदर्शन लिया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए : जलदाय मंत्री

जयपुर। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल की अध्यक्षता में बुधवार को आत्मा सभागार में सिरोही एवं जालोर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीएचडी मंत्री ने दोनों जिलों में पेयजल की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में संभावित स्थिति की जानकारी ली तथा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने पेयजल प्रबंधन के लिए गंभीरता से कार्य करने तथा पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या न आए ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जलदाय मंत्री ने आमजन द्वारा प्रस्तुत पेयजल सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण करने तथा पेयजल प्रबंधन और वितरण तंत्र को मजबूत करने की बात कही।

■ जलदाय मंत्री कन्हैया लाल की अध्यक्षता में सिरोही एवं जालोर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन

उन्होंने क्षेत्रवार पेयजल प्रबंधन की जानकारी ली तथा पेयजल स्त्रोतों व विकल्पों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आमजन को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की मंशानुरूप कार्य करने तथा जल जीवन मिशन का कार्य समय पर पूर्ण करने व गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 व अन्य विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जलदाय

मंत्री ने हैडपंप, बावड़ी एवं कुओं का मरम्मत व मटेनेंस के बारे में चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा न आए इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की क्रियावित्ति समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मौजूद आबू-पिंडवाडा विधायक समाराम गरासिया व रानीवाडा विधायक रतन देवासी ने भी क्षेत्रवार पेयजल आपूर्ति की समस्या एवं प्रोजेक्ट्स संबंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं

के बारे में अवगत कराया, जिस पर पीएचडी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण की बात कही तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग व पूर्ण कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व सांसद देवजी पटेल तथा पूर्व विधायक जगसीराम कोली ने भी क्षेत्र में पेयजल प्रबंधन व वितरण, अवैध कनेक्शन सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया जिस पर पीएचडी मंत्री ने संबंधित को नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में डॉ. रक्षा भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाशचंद्र अग्रवाल, एएसपी प्रभु देवल धानिया, उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल एवं सिरोही एवं जालोर जिले के विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

श्रीराम को अर्पित किया जाएगा मुकुट

पाली, (नि.सं.)। हिन्दू महोत्सव समिति व विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में निकलने वाली रामनवमी शोभायात्रा में इस बार विशेष प्रभु श्री रामलला को रत्न जड़ित ताज मुकुट पहनाया जाएगा। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मनीष सेन ने बताया कि रत्न जड़ित मुकुट में 211 ग्राम चांदी और 3350 छोटे नगीने व दो बड़े सिगनेटिक नगीने लगाए गए हैं। साथ ही मुकुट को तैयार करने में नौ दिन का समय लगा है। मुकुट में सहयोग करने वाले मुकुट डिजाइन करने में श्रीकांत सोनी, निशांत सोनी, मुकुट में नगीने फीटिंग में गौरव सोनी, मुकेश सोनी व चांदी के सहयोगकर्ता आनंदस्वरूप गुप्ता, मनोहर मांगीलाल जोगिड़ घुगड़िया का श्री राम के मुकुट में सहयोग रहा। रामोत्सव कार्यक्रम के तहत श्री राम दरबार अभिषेक व श्रंगार कार्यक्रम गुरूवार को लक्ष्मी मंडप में किया जायेगा।

नागाणा के नागणेच्चिया माता मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित



मां नागणेच्चा मंदिर में हुये हवन में गज सिंह व हेमलता राज्ये ने आहुतियां दीं।

जोधपुर, (कासं)। नागाणा स्थित नागणेच्चिया माताजी मंदिर व मंदिर परिसर में बुधवार को नागाणा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गजसिंह के मुख्य आतिथ्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों में ट्रस्ट उपाध्यक्ष महारानी हेमलता राज्ये भी शामिल हुईं। गजसिंह ने बुधवार को मां मंदिर परिसर नागाणा में जन सहयोग से निर्मित होने जा रहे राजपूत विश्राम गृह का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। राजपूत विश्राम गृह के प्रस्तावित प्लान के अनुसार 94 कमरे बनाए जाएंगे, जो भामाशाह सहयोग देगा उसके लिए 6 लाख की सहयोग राशि तय की गई है। अब तक राजपूत विश्रामगृह में करीब निर्माण में सहयोग देने के लिए अनेक भामाशाह आगे आए हैं। इस अवसर पर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, विधायक भीनमाल डॉ. समरजित सिंह, किशन सिंह जसोल, ब्रिगेडियर शक्ति सिंह, मेजर जनरल शेर सिंह, मारवाड़

■ राजपूत विश्रामगृह का नागाणा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गज सिंह ने शिलान्यास किया

■ राजपुरोहित समाज विश्रामगृह वसोला एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया

सिंह राव, फारूक अहमद, शंकर सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। वहीं बुधवार को ही मां नागणेच्चा माता मंदिर परिसर में गज सिंह द्वारा मंदिर परिसर के पास निर्मित राजपुरोहित समाज धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गार्दपति तुलसीराम महाराज, गाजियाबाद के संत नारायण गिरी, सैनचारी अचलानन्द गिरी, निर्मल नाथ महाराज का सानिध्य मिला। वहीं मंदिर परिसर में 150 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है जिसका गज सिंह ने शिला पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया। मां नागणेच्चा मंदिर में हवन हुआ जिसमें गज सिंह व हेमलता राज्ये ने आहुतियां दीं। मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश व ध्वजा चढ़ाई गई।

नागाणा मंदिर में चैत्र शुक्ल सप्तमी 4 अप्रैल को राव धूहड़ जयंती व माता जी का पाटोत्सव होगा।

पेड़ों की कटाई के बदले नए पौधों के रोपण का प्रस्ताव

पाटन, (नि.सं.)। राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना में 13 पेड़ों की कटाई को प्रशासन से स्वीकृति मिल गई है। यह निर्णय महाविद्यालय परिसर में भवन निर्माण के लिए आवश्यक स्थान की उपलब्धता के मद्देनार लिया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा है कि पेड़ कटाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे किसी धार्मिक आस्था से जुड़े न हों। साथ ही कटे हुए प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर पांच नए वृक्ष लगाने की अनिवार्यता भी रखी गई है। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परिसर में जगह की कमी के कारण 13 वृक्षों के स्थान पर केवल 5 नए वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं। इसलिए, प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि नगर में यदि कोई उपयुक्त सार्वजनिक भूमि उपलब्ध हो, तो वहां 100 नए वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने विधायक हंसराज बालोती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये

करौली, (नि.सं.)। पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने सपोटरा विधायक हंसराज बालोती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बुधवार को सिकंदर हाउस में पत्रकार वार्ता में सपोटरा विधायक पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप जड़े। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से सपोटरा विधायक के भ्रष्टाचार अनियमितताओं की जांच करने के साथ उन पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा, पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज व पुष्पेंद्र मीणा, पीएससी महामंत्री कन्हैया लाल शर्मा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रक्षक बैरवा, प्रधान प्रतिनिधि जलधारी मीणा सहित कांग्रेस पदाधिकारी समर्थक मौजूद रहे।

■ कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मुख्यमंत्री से सपोटरा विधायक के भ्रष्टाचार अनियमितताओं की जांच करने के साथ उन पर अंकुश लगाने का आग्रह किया

पत्रकारों से वार्ता में पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है और स्वयं विधायक हंसराज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने सपोटरा विधायक को घेरे हुए कहा कि विधायक के भाई की पत्नी के नाम की फर्म ने 13 करोड़ रुपए की माईस खरीदी है और 5 करोड़ रुपए जमा भी करा दिए हैं। उन्होंने विधायक और उनके परिजनों पर क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन के आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विभिन्न दस्तावेज रखते हुए कहा कि विधायक ने बड़े पैमाने पर जनमानस और भूखंड खरीदी है जिन पर निर्माण चल रहा है। कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि विधायक

पुस्तनी जमीन है। विधायक हंसराज द्वारा लगाये गये आरोप सभी निराधार हैं। राज्य सरकार ने नियम अनुसार आबादी विस्तार के बाद पट्टे आवंटन किये हैं। विधायक ने सत्ता के दबाव में अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्यवाही कराई है। जिसकी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विधायक के भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे।

इधर सपोटरा के विधायक हंसराज मीणा ने कहा कि पूर्व मंत्री व उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। सपोटरा की जनता ने उनके तानाशाही रवैये व भ्रष्टाचार को पूर्व में ही नकार दिया है। कुछ दिनों पूर्व मेरे द्वारा पूर्व मंत्री व उनके परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया था जिसकी बोखलाहट में मुझ व मेरे परिवार पर बेबुनियाद व भ्रामक आरोप लगा रहा है। सपोटरा की जनता सब जानती है वह इनके बहकावे में नहीं आएगी।

गर्मी के साथ ही झुंझुनूं में सड़कों पर सजने लगे गुजराती मटके



झुंझुनूं में इन दिनों सड़क किनारे दुकानदारों ने मटके और मिट्टी से बनी पानी की बोतलों के अलावा मिट्टी के अन्य सामान की दुकानें सजा ली है।

झुंझुनूं, (नि.सं.)। गर्मी के मौसम में हर किसी को पीने के लिए ठंडा-ठंडा पानी चाहिए। प्रीज के पानी की डिमांड इन गर्मियों में होती है, लेकिन अब एक बार फिर मिट्टी से बने मटकों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। झुंझुनूं में इन दिनों गुजराती के साथ लूट की 19 मार्च 25 को ललता मीणा पत्नी लोकेश कुमार मीणा की पुत्री से मोबाइल लूट, 23 मार्च को दिनेश कुमार जाटव निवासी नेला से मोबाइल लूट, 18 मार्च को तेजसिंह निवासी परसाव को चाकू दिखा कर दुकान से मोबाइल व नकदी लूट, 4 मार्च को राहुल चोपाड़ा से मोबाइल लूट, 20 मार्च को सविना क्षेत्र में उममेदविला होटल तैतरडी के पास से मोबाइल लूट की वारदातें सहित करीब 45 वारदातें कबूल की हैं।

■ राजस्थान से ज्यादा गुजराती मटकों और पानी की बोतलों की डिमांड हरियाणा में है

■ हरियाणा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में झुंझुनूं से इस तरह के मटके खरीद रहे हैं

मिट्टी से बने पानी के मटके उपयोग होते हैं। गुजराती मटकों में ना केवल नल लगी रहती है, बल्कि उनकी सुंदर डिजाइन और पेंटिंग से आकर्षक भी लगते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान से ज्यादा गुजराती मटकों और पानी की बोतलों की डिमांड हरियाणा में है। खादूश्यामजी, सालासर, राणी सती दादी, शकलरी मैया, जीण माता आदि धार्मिक स्थलों पर आने वाले हरियाणा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में झुंझुनूं से इस तरह के मटके खरीद रहे हैं। एक आंकलन के अनुसार झुंझुनूं में बिकने वाले 70 फीसदी मटके समेत मिट्टी से बने बर्तन हरियाणा के लोग खरीद रहे हैं। वहीं 30 प्रतिशत लोकल के लोग खरीदते हैं।

चिकित्सा विभाग की टीम ने दो बेकरी की जांच की



चिकित्सा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिये।

पाली, (नि.सं.)। पाली में बुधवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने जोधपुर रोड स्थित दो बेकरी की जांच की और वहां से चार सैपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि ब्रेड, क्रिम रोल, टोस्ट निर्माण करने वाली निर्माता इकाईयों में नियमों का उल्लंघन देखने को मिला। खाद्य पदार्थों को बनाने वाली इन दोनों इकाईयों में कई अनियमितताएं पाई गईं। सुभाष नगर स्थित मिस्टर बेकर्स के गोदाम में कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा मय टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्म को नोटिस दिया और सात दिवस के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर करने की हिदायत दी। दूसरी फर्म शेप बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने केक निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ मैगो फ्रूट करस व पिन्ट के नमूने लिए तथा खाद्य कारोबारकर्ता को निर्माण कार्यरत कार्मिकों के मेडिकल सर्टीफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, कीटनाशक दवाइयों के पेस्टीसाइड सर्टीफिकेट के अलावा पैकिंग, खाद्य पदार्थों पर बैच नम्बर, पैकिंग के साथ अवधि पार तिथि का अंकन नहीं था, जो कि भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर खा